प्रेषक,

विजय कुमार डुंगराकोटी,
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत।

विषयः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–12307 / IV-3076/ Admin(A-4)/ Dated:Allahabad:16-09-2023 के अनुपालन में उचित प्रकार से वांछित सूचना सहित सम्पत्ति विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रार्थनापत्र दिनांकित 16.05.2019 के साथ प्रेषित किये गये तीन सम्पत्ति विवरण पत्रों के सम्बन्ध में यह आपत्ति उठाई गयी है कि उक्त सम्पत्ति विवरण पत्रों में काई आवश्यक सूचनायें उपलब्ध नहीं है। जैसे कि पी0 पी0 एफ0 में जमा की गयी धनराशि, कार लोन लेने की तिथि, डाउन पेमेन्ट तथा इन्सटालमेन्ट आदि का विवरण न होने तथा इसके साथ ही विवरण पत्र वित्तीय वर्ष 2012–14, 2014–16, 2016–18, 2018–20 एवं 2020–22 को ब्लाक में प्रेषित करने तथा उनको प्रेषित करने में हुये बिलम्ब का कारण दर्शित करने का आदेश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि इससे पूर्व जे. ओ. पोर्टल पर भी उक्त आपत्ति दर्शित की गयी थी। तत्समय प्रार्थी के पास वर्ष 2012 के बैंक स्टेटमेन्ट आदि तुरन्त उपलब्ध नहीं थे इस कारण प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–22 के सम्पत्ति विवरण पत्र प्रेषित करते हुये समस्त विवरण पत्रों को स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। तत्पश्चात श्रीमान जी के उक्त पत्र से पुनः सम्पत्ति विवरण प्रेषित करने के आदेश पर प्रार्थी द्वारा समस्त बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर तथा पुराने विवरण एकत्र कर आवश्यक सूचनायें वर्णित करते हुये वित्तीय वर्ष 2012–14, 2014–16, 2016–18, 2018–20 के ब्लाक में सम्पत्ति विवरण पत्र तैयार किये गये जिन्हें जे0 ओ0 पोर्टल पर आन लाइन अपलोड किया जा रहा है।

जहॉ तक उक्त विवरण पत्रों को समय से प्रेषित न किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रार्थी ने पूर्व में अपने पत्र दिनांकित 16.05.2019 के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि प्रार्थी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 तक अपने सम्पत्ति विवरण पत्र प्रेषित किये जा चुके थे परन्तु उसके बाद कोई अचल सम्पत्ति क्रय या विक्रय न करने के कारण भूलवश वित्तीय वर्ष 2019 तक के विवरण पत्र प्रेषित नहीं किये जा सके थे और प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दिनांकित 16.05.2019 के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15, 2016–17 एवं 2018–19 के सम्पत्ति विवरण पत्रों को प्रेषित किया गया था, जिनके उचित वित्तीय वर्ष के ब्लाक में न होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आपत्ति की गयी थी।

अतः अब प्रार्थी द्वारा विवरण पत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित वित्तीय वर्षो के ब्लाक में सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण पत्र वर्ष 2012–14, 2014–16, 2016–18, 2018–20 समस्त सूचना के साथ प्रेषित किये जा रहे है तथा ब्लाक 2020–22 का सम्पत्ति विवरण पूर्व में अपलोड किया जा चुका है।

अतः उक्त सम्पत्ति विवरण पत्रों को स्वीकार कर आपत्ति का निस्तारण करने की कृपा करें। भविष्य में प्रार्थी द्वारा उक्त वित्तीय वर्षो के ब्लाक में ही सम्पत्ति विवरण पत्र नियमित रूप से प्रेषित किये जायेगें।

सादर।

दिनांक–29.09.2023

भवदीय,

29.9.23

(विजय कुमार डुंगराकोटी)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट नं0–1, पीलीभीत।
जे0 ओ0 कोड–यू0 पी0 6156